न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 12/2023 बउनवानी वृन्दावन मथुरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0
पुत्र श्री शंकर लाल मथुरिया निवासी एफ.22 किरण बिहार त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर
GCMS No-2023/16

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
3.3.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.11.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. माननीय उच्च न्यायालय की समीक्षा याचिका संख्या 117/2022 आदेश दिनांक 17.5.2022 व प्रार्थना पत्र संख्या 146/2022 आदेश दिनांक 23.9.2022 के संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र दिनांक 3.11.2022 व स्मरण पत्र दिनांक 18.11.2022 के संबंध में आज तक की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण देने बाबत। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ.2(284)सूकाअ/2022/1780 दिनांक 14.2.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2022 मे चाही गयी सूचना के लिए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर को अन्तरित किये जाने पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक/निर्वाचन/विविध/2023/13दिनांक 5.1.2023 से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी खण्डार को लिखते हुए प्रति सूचनार्थ अपीलान्ट को भी प्रेषित की गयी है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम)खण्डार ने अपने पत्रांक/न्याय /23/1383 दिनांक 26.1.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट वृन्दावन मथुरिया द्वारा दिनांक 6.9.2017 को सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत भाग संख्या 181 (रामलीला मैदान खण्डार) की मतदाता सूची वर्ष 2001 व 2003 की उपलब्ध करवाने बाबत श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के सदंर्भ में आवेदक को श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक/निर्वाचन/सूकाअ/2018/26 दिनांक 4.1.2019 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। आवेदक [illegible] करवायी गयी सूचना से आवेदक संतुष्ट नही होने से आवेदक [illegible] उच्च न्यायालय मे एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 18373/2019 दर्ज करवायी गयी। उक्त प्रकरण [illegible] लिए पत्रांक /न्याय/ओआईसी/सि.रिट/2019/8975 दिनांक 12.12.2019 को [illegible] उपजिला कलेक्टर खण्डार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया तथा दिनाक 3.11.2020 को प्रथम बार जवाब प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से अंतिम बार दिनांक 8.2.2022 को जवाब प्रस्तुत किया गया। उक्त जवाब को स्वीकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:36:28 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिट पिटीशन संख्या 18373/2019 को दिनांक 11.4.2022 को खारिज कर दिया था। आवेदक द्वारा उक्त आदेश दिनांक 11.4.2022 के विरूद्व एस.बी. रिव्यू पिटीशन संख्या 117/2022 माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गयी जो दिनांक 17.5.2022 को खारिज की जा चुकी है। आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.5.2022 के विरूद्व पुनः एस.बी. रिट विविध प्रार्थना पत्र संख्या 146/2022 पेश किया गया जो दिनांक 23.9.2022 को इस निर्देश के साथ खारिज की गयी कि याचिकाकर्ता या उसकी बहन का निवास स्थान के रूप में अपनी पहचान के संबंध में कोई दावा है तो वे हमेशा प्रदान किये गये उपाय का लाभ उठाने के लिय स्वतंत्र है ओर कानून के अनुसार इसका फैसला किया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 3.11.2022 एवं स्मरण पत्र. दिनांक 18.11.2022 मे प्रार्थी की बहन धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता मथुरिया पत्नि कमल किशोर उर्फ कमलेश प्लाट नम्बर 75 रामलीला मैदान खण्डार की मतदाता सूची/पहचान पत्र दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। किन्तु मुताबिक रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम)खण्डार अपीलान्ट की बहन धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता मथुरिया का नाम जुडवाने बाबत कोई आवेदन पत्र कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है तथा वर्तमान में अपीलान्ट की बहन का नाम उक्त मतदाता सूची मे सम्मलित नही होने के कारण मतदाता सूची, पहचान पत्र दिलवाया जाना सम्भव नही होने के कारण प्रार्थना पत्र दिनांक 3.11.2022 पर कोई कार्यवाही नही किया जाना आवश्यक नही है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.11.2022 मे चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड (अपीलान्ट की बहन धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता मथुरिया पत्नि कमल किशोर उर्फ कमलेश प्लाट नम्बर 75 रामलीला मैदान खण्डार की मतदाता सूची/पहचान पत्र) कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना दिया जाना आवश्यक नही है। चूंकि प्रार्थना पत्र दिनांक 3.11.2022 व 18.11.2022 मे चाही गयी मतदाता सूची में अपीलान्ट की बहन का नाम अंकित नही है इसलिए मतदाता पहचान पत्र दिया जाना सम्भव नही है। जहॉ तक माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.5.2022 के विरूद्व पुनः एस.बी. रिट विविध प्रार्थना पत्र संख्या 146/2022 निर्णय दिनांक 23.9.2022 का प्रश्न है तो उक्त निर्णय में प्रार्थी की रिट खारिज की जाकर यह निर्देश दिये गये है कि याचिकाकर्ता या उसकी बहन का निवास स्थान के रूप में अपनी पहचान के संबंध में कोई दावा है तो वे हमेशा प्रदान किये गये उपाय का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है अर्थात वर्तमान में वह अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाने हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र (मूल निवास स्थान से संबंधित दस्तावेजो सहित) पेश करने के लिए स्वतंत्र है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि भविष्य में अपीलान्ट की बहन धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता मथुरिया पत्नि कमल किशोर उर्फ कमलेश प्लाट नम्बर 75 रामलीला मैदान खण्डार की मतदाता सूची में नाम जुडवाने बाबत दावा प्रस्तुत किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना रिकार्ड पर संधारित नही है किन्तु सूचना से संबंधित वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अपीलान्ट को पत्रांक 1383 दिनांक 26.1.2023 से भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola.
Date: 2023.12.19 11:36:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 12/2023 बउनवानी वृन्दावन मथुरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 पुत्र श्री शंकर लाल मथुरिया निवासी एफ.22 किरण बिहार त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर

GCMS No-2023/16

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
31.3.2023	अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.3.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत अपील संख्या 12/2023 बउनवानी वृन्दावन मथुरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 में पारित निर्णय दिनांक 3.3.2023 पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं उसकी बहिन दिनांक 15.2.2023, 22.2.2023, 28.2.2023 एवं 3.3.2023 को न्यायालय मे उपस्थित हुए थे किन्तु न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.3.2023 मे अपीलान्ट को अनुपस्थित बता रखा है तथा अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐं भी उपलब्ध नही करवायी गयी है इसलिए उक्त निर्णय मे संशोधन किया जाकर अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज की जावे । अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र एवं निर्णय दिनांक 3.3.2023 का अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 3.3.2023 के प्रथम एवं चतुर्थ पैराज की प्रथम पंक्ति मे अपीलान्ट **"उपस्थित नही"** शब्द लिपिकीय त्रुटिवश टंकित हो गया है । अतः उक्त दोनो पैराज की प्रथम पंक्तियों में **"अपीलान्ट उपस्थित नही के स्थान पर अपीलान्ट उपस्थित"** पढा जावे। उक्त आपत्ति के अतिरक्त अपीलान्ट की शेष आपत्तियॉ खारिज की जाती है। उक्त आदेश निर्णय दिनांक 3.3.2023 का भाग रहेगा। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:36:28 IST Reason: SelfAttested